

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 25/2021 – निगरानी

प्रहलाद खटीक पुत्र देवी लाल बनाम 1. ग्राम पंचायत, भोली, जरिये सचिव ग्राम पंचायत भोली, तहसील व जिला भीलवाडा

2. पप्पूलाल पिता मांगीलाल जाट, निवासी- पातलियास ग्राम पंचायत पातलियास तहसील व जिला भीलवाडा

– निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानी अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण बाबत, पट्टा संख्या 08 दिनांक

20/11/2009

उपस्थित –

1. श्री सुनील मण्डोवरा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी सं. 02 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

## निर्णय

दिनांक 29.08.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या 541 रकबा 1.18 बिस्वा राजकीय बिलानाम सरकारी भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि थी जो वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक/42(20) राज.-3/2018 दिनांक 27.02.2018 एवं जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक एफ-12-3(1) (सेटअपार्ट)/आरए/2017/1438 दिनांक 16.03.2018 से उक्त वर्णित भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गैर मुमकिन रास्ते के रूप में आरक्षित की गई हैं जिसकी पालना मे नामान्तरण संख्या 1690 दिनांक 06.04.2018 को उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गे.मु. रास्ते हेतु आरक्षित दर्ज हुई। आराजी नम्बर 541 रकबा 1.18 बीघा भूमि दिनांक 07.12.1974 के आदेश से ग्राम मण्डपिया में औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेटअपार्ट दर्ज रेकार्ड हैं, जो दिनांक 07.12.1974 से उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु थी, ग्राम पंचायत औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में



*Luks*  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाडा

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 25/2021 – निगरानी

प्रहलाद खटीक पुत्र देवी लाल बनाम 1. ग्राम पंचायत, भोली, जरिये सचिव ग्राम पंचायत भोली, तहसील व जिला भीलवाडा

2. पप्पूलाल पिता मांगीलाल जाट, निवासी- पातलियास ग्राम पंचायत पातलियास तहसील व जिला भीलवाडा

– निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानी अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण बाबत, पट्टा संख्या 08 दिनांक

20/11/2009

उपस्थित –

1. श्री सुनील मण्डोवरा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी सं. 02 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

## निर्णय

दिनांक 29.08.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या 541 रकबा 1.18 बिस्वा राजकीय बिलानाम सरकारी भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि थी जो वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक/42(20) राज.-3/2018 दिनांक 27.02.2018 एवं जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक एफ-12-3(1) (सेटअपार्ट)/आरए/2017/1438 दिनांक 16.03.2018 से उक्त वर्णित भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गैर मुमकिन रास्ते के रूप में आरक्षित की गई हैं जिसकी पालना मे नामान्तरण संख्या 1690 दिनांक 06.04.2018 को उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गे.मु. रास्ते हेतु आरक्षित दर्ज हुई। आराजी नम्बर 541 रकबा 1.18 बीघा भूमि दिनांक 07.12.1974 के आदेश से ग्राम मण्डपिया में औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेटअपार्ट दर्ज रेकार्ड हैं, जो दिनांक 07.12.1974 से उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु थी, ग्राम पंचायत औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में



*Luks*  
अति. जिला कलेक्टर  
भीलवाडा